विधान परिषद् के तृतीय सत्र, 2024 के 1 -मंगलवार के लिए निर्धारित श्री अशोक अग्रवाल, मा० सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न स०-8 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
8 (क)- क्या कृषि विपणन मंत्री बतायेंगे कि प्रश्न कर्ता का पत्र दिनांक 10.07.2023 व दिनांक 05.02.2024 जो राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उद्यानिकी, कृषि विपणन , कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात, उत्तर प्रदेश सरकार को सम्बोधित जनपद-हरदोई के अन्तर्गत समुखा से नेवादा सम्पर्क मार्ग देवस्थान शंकर जी होते हुए एवं ग्राम समसपुर से बालामऊ तक लम्बाई लगभग 1.5 कि०मी० का मण्डी परिषद द्वारा डामरीकरण कराये जाने विषयक था प्राप्त हुआ है?	जी हां।
(ख) यदि हाँ, तो क्या निहित आदेशों के तहत प्रश्नगत मार्गों के निर्माण हेतु समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर धनावंटन किये जाने हेतु निदेशक, मण्डी, उ०प्र० को पत्र संख्या-80/वी०आई०पी०/रा०म० (स्व०प्र०)/उ०कृ0वि0/2024 दिनांक 07.02.2024 भेजे गये थे?	जी हां। पत्र दिनांक 05.02.2024 में अंकित मार्गों में से क्रमांक-01 पर अंकित मार्ग "ग्राम समसापुर से बालामऊ" एवं 02 पर अंकित मार्ग "ग्राम समुखा से नेवादा (देव स्थान शंकर जी होकर नाला हाते हुए नेवादा) का सर्वे कराया गया। क्रमांक-01 पर अंकित मार्ग बनने योग्य पाया गया। क्रमांक -02 पर अंकित मार्ग की चौड़ाई- 2.00 से 4.00 मी0 है। मण्डी परिषद द्वारा मिट्टी का कार्य नहीं कराया जाता है। अतएव मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण तकनीकी दृष्टिकोण से बनने योग्य नहीं है।
(ग) यदि हाँ, तो क्या जनहित में किसानों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये उक्त सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु धनराशि प्राविधानित कर प्राथमिकता के आधार पर प्रश्न गत सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा?	क्रमांक-01 पर अंकित बनने योग्य मार्ग का मण्डी समिति से प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत मार्ग निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

दिनेश प्रताप सिंह
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग,
उत्तर प्रदेश।